The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 4 | April 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

झारखण्ड में महिला सशक्तिकरण और झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना : एक मूल्यांकन

Dr. Prishila Soren

Ph.D, Political Science, Sido Kanhu Murmu University, Dumka, Jharkhand, India

Email-sonasoren48@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20127019

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 25-04-2026

Published: 10-05-2026

Keywords:

महिला, सशक्तिकरण, झारखण्ड, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आत्मनिर्भर, मंईयां सम्मान योजना।

ABSTRACT

दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। सशक्त समाज से ही सशक्त राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है और सशक्त समाज का मानक उस समाज की सशक्त महिलाएँ होती है। महिला किसी भी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय से हो आखिर वो महिला ही होती है। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति लगभग एक जैसी देखी जा रही है। जहां पुरूषों की तुलना में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया जाता है। एक महिला को खुश रहने का एवं अपने जीवन को संवारने वाले कारकों को चुनने का अधिकार नहीं है। आज उस पुरानी सामाजिक वृति को चुनौति देने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम महत्व देती है। सैकड़ों वर्षों से महिलाओं को मूल–भूत मानवीय, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना से वंचित रखा गया है। महिलाएँ परिवार एवं समाज के द्वारा किये जाने वाले मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शोषण से स्वतंत्र होना चाहती है। उसे भी अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार अपना अध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं राजनीतिक विकास कर सके। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण के आयाम बदल रहे हैं। आर्थिक निर्भरता, शिक्षा, जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी तथा सुरक्षा को महिला सशक्तिकरण का नया मानक माना जा रहा है। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण को कितना महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, इसका प्रमाण हमें हाल ही में झारखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के दावोस दौरे के दौरान देखने को मिलता है। जहाँ मुख्यमंत्री ने ''महिला केन्द्रित उद्यमित्ता'' को बढ़ावा देने की बात की है। साथ ही उनकी धर्म–पत्नी सह गाण्डेय के माननीय विधायिका श्रीमति कल्पना सोरेन ने महिला सशक्तिकरण को

नारे की तरह नहीं बल्कि एक मॉडल की तरह देखने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा ''महिलाओं की घरेलु कामों को मान्यता देनी चाहिए।'' उन्होंने स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमिता और स्थानीय उद्योगों का वैश्वीकरण पर जोर दिया है।

शोध का उद्देष्य :– इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' का समग्र अध्ययन किया जाना है। साथ ही झारखण्ड की महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता का भी अध्ययन का मूल्यांकन किया जाना है।

उपकल्पना :–

1. मंईयां सम्मान योजना ने झारखण्ड के महिलाओं को सशक्त बनाया है।
2. पुरूषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कम हुई है।
3. शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता आई है।
4. महिलाएँ निर्णय लेने में सक्षम हुई है।

परिचय :– विश्व में 8 मार्च को ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है कि ''दिवस कमजोरों के मनाए जाते है, मजबूत लोगों के नहीं।'' सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकलना, नौकरी करना या पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र, सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाना है। उन्हें अपने जीवन के फैसले खुद लेने, शिक्षा, समानता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जिससे महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

विश्व में नारी आन्दोलन की शुरूआत 19 वीं शताब्दी में हुई। सम्पूर्ण विश्व में जब नारी आन्दोलन सामने आया तब नारी सशक्तिकरण की एक नई अवधारणा का प्रार्दुभाव हुआ। नारी आन्दोलन प्रारम्भ होने का पहला चरण 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 20वीं सदी का प्रारम्भ माना जाता है। अमेरिका के शहरी उदारवादी और औद्योगिक माहौल में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरी चरण की शुरूआत साठ की दशक माना जाता है। इस दौर में कानूनी असमानता एवं वास्तविक असमानता की जटिलता को दूर करने का प्रयास किया गया। तीसरी चरण नब्बे के दशक में प्रारम्भ होती है। यह द्वितीय चरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी।

वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था एवं उसे पढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में भारत में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर लगातार समाज सुधार हेतु व्यापक प्रयास हो रहे थे। लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा पश्चिम के देशों में हो रहे थे। भारत में नारी सशक्तिकरण की शुरूआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से

मानी जाती है। यह प्रयास समाज सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जुड़ कर आगे बढ़ रहा था। इसमें अंधविश्वासों के विरूद्ध आवाज, बाल–विवाह, सती–प्रथा व देवदासी के खिलाफ आवाज आदि की बात उठाई गयी। राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचन्द्र विधासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फूले, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाकर उनको सशक्त करने की दिशा में कार्य किया है।

भारत में स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आन्दोलन का दूसरा दौर गांधी जी के भारतीय राजनीति में आगमन के साथ प्रारम्भ होता है। यह वह दौर था जब महिलाएँ एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थी। इसी समय 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गाँधीजी और डॉ0 बी0 आर0 अम्बेदकर द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया। महात्मा गांधी ने बड़े व्यावहारिक रूप से पर्दा प्रथा, बाल–विवाह, दहेज उन्मूलन व विधवाओं की समस्याएँ तथा छुआ–छुत को खत्म करने की दिशा में कार्य किया है। वहीं दूसरी और संविधान निर्माता अम्बेदकर ने महिलाओं को मताधिकार दिलाने, लैंगिक भेद–भाव को समाप्त करने व समानता के अधिकारों को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में नारी सशक्तिकरण का तीसरा चरण जो अभी भी देखा जा रहा है। उसके प्रमुख बिन्दु महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम इस प्रकार है :–

1. आर्थिक आत्मनिर्भरता – महिलाओं को नौकरी व्यवसाय और समान कार्य के लिए समान वेतन के अवसर प्रदान करना ताकि महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर न रहें।
2. शिक्षा और जागरूकता – लड़कियों को शिक्षित होना, उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, जो सशक्तिकरण की नींव है।
3. निर्णय लेने की क्षमता – परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर होने वाले निर्णयों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
4. सुरक्षा और अधिकार – घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों से सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
5. सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी – समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।

झारखण्ड में महिला सशक्तिकरण :– झारखण्ड राज्य का गठन भगवान बिरसा मुण्डा की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर 15 नवम्बर 2000ई0 को हुआ है। इसका निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भू–भाग को अलग करके किया गया है। जिसमें तत्कालीन बिहार के 18 जिलें शामिल थे। वर्तमान समय में 24 जिले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार

पुरूष साक्षरता दर 76.84% तथा महिला साक्षरता दर 55.42% है। यहाँ की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें पुरूषों की जनसंख्या 1,69,30,315 तथा महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,819 है। झारखण्ड में 75.95% लोग गांव में तथा 24.05% लोग शहरों में निवास करते हैं।

झारखण्ड राज्य एक आदिवासी बहुल राज्य है। इस राज्य में 33 प्रकार की जनजातियाँ तथा 8 प्रकार की आदिम जनजातियाँ निवास करती है। झारखण्ड राज्य की पहचान यहाँ की जल, जंगल, जमीन, खनिज सम्पदा एवं यहाँ निवास करने वाली आदिवासियों से होती है। यहाँ की आदिवासियों का संबंध मुख्यतः उनके जल, जंगल और जमीन से ही रहा है। वर्तमान समय में भी कई ऐसे गांव है, जहाँ न तो सड़क है, न बिजली, न पीने का स्वच्छ पानी और न ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध है। इस परिस्थिति में झारखण्ड की महिलाएँ सशक्त है यह कहना अतिश्योक्ति होगा।

पिछले कुछ सालों से झारखण्ड सरकार ने महिलाओं एवं किशोरियों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का शुभारम्भ किया है।

1. **संजीवनी योजना :–** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
2. **उद्यमी सखी मण्डल योजना (2017) :–** इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
3. **तेजस्विनी योजना :–** इस योजना का उद्देश्य 14–25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना है तथा किशोरियों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
4. **मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (2019) :–** इस योजना का शुभारम्भ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका ड्रॉपआउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को शून्य करना है।
5. **आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (ASHA) 2020 :–** इस योजना का उद्देश्य 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर बड़ाना है।
6. **फूलो–झानो आशीर्वाद योजना (2020) :–** इस योजना का उद्देश्य हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है।
7. **प्लाष ब्रांड (2020) :–** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के तहत् बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है।

8. **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :–** इस मिशन के तहत् 3 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने 3000 शहरी गरीबों से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में बैंक सहायता उपलब्ध कराने, 129 आश्रमगृह निर्माण करने आदि का लक्ष्य है।
9. **सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना (2022) :–** इस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत् 18–19 वर्ष की बालिकाओं को एक मुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रू0 की राशि प्रदान की जाती है।
10. **झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) 2024 :–** महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से झारखण्ड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के अवसर पर झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना (JMMSY) की शुरूआत की। प्रारम्भ में इस योजना के तहत 1,000 रूपये की मासिक सहायता (12,000 रू0 प्रति वर्ष) डी बी टी (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती थी। परन्तु दिसम्बर 2025 के बाद से झारखण्ड सरकार ने इस योजना के तहत् मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2,500 रू0 मासिक (30,000 रू0 प्रति वर्ष) कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य :–

i. राज्य की लगभग 48 लाख महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
ii. राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
iii. इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण के लिए राशि उनके खातों में डी0 बी0 टी0 (DBT) के माध्यम से दिया जाना है।

पात्रता :–

i- केवल झारखण्ड की स्थायी निवासी महिलाएँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं
ii- महिला की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है।
iv- महिला के परिवार का नाम झारखण्ड राज्य अंत्योदय अन्न योजना के तहत् पंजीकृत होना चाहिए। गुलाबी, पीले, सफेद और हरे राशन कार्ड वाली महिलाएँ इस योजना के तहत् आवेदन कर सकती है।
v- आवेदन करने वाली महिला का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।

झारखण्ड विधानसभा की महिला एंव बाल विकास समिति की अध्यक्ष सह विधायक श्रीमति कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने दावोस और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान राज्य की आधी आबादी की आवाज को बुलंद करते हुए महिला उद्यमिता का मॉडल पेश कर महिला नेतृत्व से स्थायी विकास का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि झारखण्ड का विकास मॉडल राज्य के आदिवासी, स्वदेशी और स्थानीय मूल्यों पर आधारित है। जल, जंगल और जमीन के साथ संबंध केवल संसाधनों के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि संरक्षण, संतुलन और जिम्मेदारी पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखण्ड सरकार का दृष्टि कोण केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की आत्मसम्मान और अवसरों को पुर्नस्थापित करना तथा समानता लाने पर केन्द्रित है। राज्य की नीतियाँ विशेष रूप से गृहणियों और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बन सके।

निष्कर्ष :– मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत अगस्त 2024 में की गई है। इस योजना को शुरू हुए लगभग एक साल पांच महीना ही हुआ है। इतने कम अवधि में ही इस योजना की लोकप्रियता महिलाओं में काफी बढ़ गई है। अब तक 56 लाख महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। चुंकि इस योजना के अनुसार लाभार्थी की उम्रसीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष रखी गई है। अतः हर उम्र की महिलाओं की जरूरतें भी भिन्न हैं। लाभार्थियों में कुछ घरेलु महिलाएँ है तो कुछ अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएँ। ग्रामीण महिलाओं की एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला कि वे इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई–लिखाई, दवाई तथा घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती है। साथ ही यह पता चला कि महिलाएँ अपने निजी जरूरतों के सामान को खरीदने के लिए परिवार, अथवा पति पर निर्भर रहती थी, परन्तु इस इस योजना का लाभ मिलने के उपरांत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन चुकी है। इस योजना के शुरू होने से महिलाएँ घर से बाहर निकलने लगी है। महिलाएँ बैंकों से अपरिचित थी, अब बैंकों के बारे में जानने लगी हैं। बैंकों से सिर्फ पैसे निकाले नहीं जाते बल्कि बचत की राशि को जमा रखा जाता है। इस योजना का दुःष्परिणाम भी देखा जा रहा है, किन्तु यह नगण्य है। इस योजना का लाभ कई महिलाएँ गलत तरीके से ले रही है, जिसे सरकार जांच कर छँटनी कर रही है। सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि वंचित महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले। महिलाओं में आत्मविश्वास का आना इस योजना का ही देन है। सशक्तिकरण केवल एक बार किया जाने वाला हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि एक सत्त प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से झारखण्ड राज्य के ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं समाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और सुदृढ़ हो रही हैं। इस योजना का सीधा असर इनके पहनावे, पोषण एवं बच्चों की शिक्षा पर गुणात्मक बदलाव से परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि झारखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

संदर्भ सूची :–

1. जौहरी डॉ. ओजस्विनी, 'महिला सशक्तिकरण', कैलाश पुस्तक सदन, 244, जोन–I, एम. पी. नगर, भोपाल–462011
2. आर्य डॉ. राकेश कुमार, 'महिला सशक्तिकरण और भारत', डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा0) लि0 X–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II नई दिल्ली–110020
3- अग्रवाल अरूण, 'झारखण्ड सार संग्रह', UDDAN Publication Series, 22nd Floor, Maa Parwati Complex East Jail Road Ranchi (Jharkhand) 834001
4. श्रीवास्तव विकास चन्द्र एवं 'झारखण्डी' उपाध्याय बैद्यनाथ, 'झारखण्ड A to Z शिवांगन पब्लिकेशन, शिव भवन, कमलाकान्त रोड, रातू रोड, रांची–834001
5- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 1995, Allahabad Law Publications, 166-B, Allengani, Prayagraj (Allahabad) 211002
6. https://www.drishtiias.com
7. https://www.jharkhand.com
8. https://www.navbharattimes.indiatimes.com
9. https://www.cm.jharkhand.gov.in
10. News 18 Bihar Jharkhand Youtube, 6 Jan 2025
11. प्रभात खबर, देवघर, शनिवार, 24.01.2026